

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल
पुराना नर्सिंग हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि. नर्सिंग कां./2020/200

रायपुर, दिनांक 20/10/2020

// सूचना //

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत एवं इस राज्य में कार्यरत नर्सिंग को सूचित किया जाता है कि भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा संचालित नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेकिंग सिस्टम परियोजना (NRTS Project) के तहत जल्द से जल्द पंजीयन कराना आवश्यक है। ऐसे नर्सिंग जिन्होंने NRTS प्रोजेक्ट के तहत पहले पंजीयन नहीं करवाया है, उनको स्वयं <https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in> पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य है। पंजीयन पश्चात् आधार प्रमाणीकरण एवं फोटो कैचरिंग नर्सिंग काउंसिल से संपादन किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु <https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in> पर विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेकिंग सिस्टम (NRTS), भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 15(अ) के तहत भारतीय उपचर्या रजिस्टर को तैयार/अद्यतन करने में भारतीय उपचर्या परिषद् की मदद करेगा।

सफलतापूर्वक पंजीयन होने के पश्चात् सत्यापन कर NUID Card (Unique Identification Card) एवं पास-बुक जारी किया जाता है। यह पंजीयन 30 नवंबर 2020 तक पूर्णतः निःशुल्क है।

रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउंसिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2020/.....

रायपुर, दिनांक/ /2020

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कार्यालयीन प्रति।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सिंग रजि. काउंसिल
रायपुर, छत्तीसगढ़